## ORDER SHEET 42a-2015Rcs

THECOURT	<b>}-</b> -∕	_
	- CV	

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
20 -01-17	वादी अनुपस्थित। वादी की ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं। वादी एवं उसके अधिवक्ता की न्यायालय कक्ष के बाहर बार—बार पुकार लगवाई गई, परंतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है। आज दिनांक को वादी अनुपस्थित है वादी की ओर से उसके पक्ष समर्थन हेतु कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं है। वादी की अनुपस्थिति का कोई कारण भी दर्शित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी प्रकरण में कार्यवाही करने का इच्छुक नहीं है एवं वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रस्तुत प्रकरण वादी की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के अंतर्गत खारिज किया जाता है।	
	प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री केशव सिंह गुर्जर उपस्थित हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रतिवादी क. 1(अ) द्वारा वादी के विरुद्ध व्यवहार वाद क. 59ए/13 प्रस्तुत किया गया था एवं आदेश पित्रका दिनांक 11.09.13 के अनुसार व्यवहार वाद क. 59ए/13 को प्रस्तुत प्रकरण के साथ समेकित किया गया था एवं दोनों प्रकरणों का विचारण एक साथ किया जा रहा था। आज दिनांक को वादी की अनुपस्थिति में हस्तगत व्यवहारवाद क. 42ए/15 खारिज हो चुका है। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर उपस्थित हैं, उनके द्वारा हस्तगत प्रकरण के साथ संलग्न व्यवहार वाद क. 59ए/13 में अग्रिम कार्यवाही करना व्यक्त किया में अतः व्यवहार वाद क. 59ए/13 प्रस्तुत प्रकरण से प्रथक किया गया एवं उसमें प्रथक से कार्यवाही प्रारंभ की गयी।  प्रस्तुत प्रकरण आदेश 9 नियम 8 के अंतर्गत वादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत प्रकरण का परिणाम दर्ज कर पत्रावली अभिलेखागार भेजी जावे। प्रकरण में व्यय तालिका बनाई जावे।  सही/— प्रतिष्टा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद	<b>&amp;</b>